खाद्य एवं रसद विभाग

जनपद बरेली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली गत अनेक वर्ष से शासकीय योजनाओं का महत्वपूर्ण अंग रही है, जिसका उददेश्य आवश्यक वस्तुओं के खुले बाजार में मूल्यों पर नियंत्रण करना एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है।
- खाद्य एवं रसद विभाग, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के गरीबों को सहायता एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर कर आयी है। जिसकी मंशा गरीब परिवारों की सेवा करने की है, मुख्यतः उन असहाय गरीबों की, जिनका कोई पुर्साहाल नहीं है और जो भुखमरी की कगार पर हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदेश के कोने कोने में पहुँचकर लगभग 20 करोड़ व्यक्तियों के जीवन को छूती है।

कार्यशाला का उददेश्य

- खाद्य एवं रसद विभाग, प्रदेश के 3 करोड़ किसानों को उनके खाद्यान्न उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करके एवं उक्त खाद्यान्न का भण्डारण एवं देखरेख करते हुए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है।
- इस प्रकार खाद्य एवं रसद विभाग जहॉ एक ओर किसानों को उनका उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराता है वहीं दूसरी ओर कम दर पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण समाज की सेवा करता है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूर्व में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से काफी आलोचना की गयी। यहॉ तक कि प्लानिंग कमीशन में वर्ष 2005 में अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में यह टिप्पणी प्रस्तुत की, कि '' सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खर्च किये गये प्रत्येक 4 रूपया में से केवल 01 रूपया ही गरीबों तक पहुॅचता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 57 प्रतिशत खाद्यान्न उन वास्तविक उपभोक्ताओं तक नहीं पहुॅच पाता है जिनके लिये वह उपलब्ध कराया गया है ''। सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए इस प्रकार की आलोचना का कारण एवं निवारण खोजने की कोशिश की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित 3 बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही की जाये तो उसके प्रतिफल काफी सुखद होंगे–

- 1– सरकार– उपभोक्ता सम्बन्ध अर्थात सरकार एवं उपभोक्ता यथा ए0पी0एल0 / बी0पी0एल0 / अन्त्योदय राशनकार्ड धारक, किसान आदि के मध्य सामंजस्य।
- 2– सरकार– कार्यकर्ता सम्बन्ध अर्थात सरकार एवं उसके कार्यकर्ता अर्थात परिवहन ठेकेदार / राईस मिल स्वामी / उचित दर विकेता / जिला एवं ग्राम सभा स्तरीय सलाहाकार / प्रशासनिक समिति के सदस्य / प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य।
- 3– सरकार– सरकार सम्बन्ध अर्थात प्रशासन / जिला स्तरीय अधिकारी / कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य।
- प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए जन सामान्य को शासन की नीतियों से अवगत कराने हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकटीकरण, इन्टरनेट पर सूचनाऐं उपलब्ध कराया जाना एवं एस. एम.एस. के माध्यम से खाद्यान्न / मिटटी तेल के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जानकारी, उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण की तिथियों का रोस्टर एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण, समस्त योजनाओं के राशनकार्डो का डिजिटाईजेशन आदि की कार्यवाही की गयी हैं जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति जनसामान्य का रूझान काफी बढ़ा है तथा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में काफी प्रगति आयी है। यहॉ तक कि मीडिया एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित उच्च स्तरीय समितियों द्वारा भी उपरोक्त उपलब्धियों के प्रति विभाग की सराहना करते हुए सन्तोष व्यक्त किया गया है।

- उपरोक्त कार्यवाही से तीसरे बिन्दु के सम्बन्ध में कार्यवाही स्वतः ही सुलभ हो गयी है जैसे डाटा डिजिटाईजेशन के अन्तर्गत फीड किये गये परिवारों का रिकार्ड यूनिक आई.डी. प्रोजेक्ट से सम्बद्ध हो जायेगा। अन्य विभाग जैसे ग्राम्य विकास विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं में इस रिकार्ड का प्रयोग कर सकता है। कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत राशनकार्ड जारी होने से बोगस/फर्जी राशनकार्ड जारी होने पर भी प्रभावी लगाम लगेगी।
- अब रहा प्रश्न दूसरे बिन्दु अर्थात सरकार एवं उसके कार्यकर्ता अर्थात परिवहन ठेकेदार/ राईस मिल स्वामी/ उचित दर विक्रेता/ जिला एवं ग्राम सभा स्तरीय सलाहाकार/प्रशासनिक समिति के सदस्य/ प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के मध्य सामंजस्य का, तो उसके सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा काफी अच्छे प्रयास किये गये हैं। जैसे पूर्व में उचित दर विक्रेता अधिकारियों/ कर्मचारियों की दया के पात्र होते थे जो अपनी इच्छानुसार उनके अनुबन्ध निलम्बित और बहाल अथवा निरस्त करते थे किन्तु वर्तमान समय में शासन द्वारा इस तथ्य की विशेष रूप से समीक्षा की जा रही है कि कितने उचित दर विक्रेताओं की दुकानों के अनुबन्ध पत्र निलम्बित करके बहाल/ निरस्त किये गये और कितने बिना निलम्बन के ही निरस्त कर दिये गये। शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं की कमीशन दरें तय की गयी है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से किसी प्रकार की हानि न हो और उपभोक्ताओं को सुगमता से आवश्यक वस्तुऐं प्राप्त होती रहें। जिला एवं ग्राम सभा स्तरीय प्रशासनिक/ सलाहाकार समितियों की बैठकें आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है, ताकि व्यवस्थाओं को और अधिक सुद्ढ एवं पारदर्शी बनाया जा सके। इसी के तहत शासन के निर्देशानुसार इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली– परिचय

- वर्ष 1942 में नागरिक आपूर्ति विभाग एवं अर्थ विभाग की स्थापना की गयी।
- वर्ष 1943 में इसकी पुर्नस्थापना एक सम्पूर्ण विभाग के रूप में की गयी, जिसका उददेश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान, भण्डारण एवं उपभोक्ताओं को वितरण कराना था।

मूल्य नियंत्रण विभाग

- वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय '' भारत सरकार'' द्वारा ''मूल्य नियंत्रक'' एवं ''मूल्य नियंत्रण विभाग'' की नियुक्ति की गयी जिसका उददेश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराना था।

खाद्य एवं रसद विभाग

- वर्ष 1946 में ''खाद्य एवं रसद विभाग'' की स्थापना की गयी और उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को विभाग का प्राधिकारी बनाया गया। विभाग की स्थापना की तिथि से विभाग का मुख्य उददेश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को कराना एवं आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करना रहा है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की भूमिका

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की मुख्य भूमिका छः आवश्यक वस्तुओं यथा गेहूॅं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिटटी तेल एवं कोयला के उठान एवं राज्य सरकार व संघ शासित प्रदेशों को नियमित एवं नियंत्रित मूल्य पर आम जनता को वितरण कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने की रही है। यह आवश्यक वस्तुऐं स्थायी, केन्द्र–निर्धारित मूल्यों, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा तय किये जाते है, पर उपलब्ध करायी जाती हैं। कुछ प्रदेश / संघ शासित प्रदेश दैनिक उपभोग की अन्य आवश्यक वस्तुऐं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित आउटलेट्स के माध्यम से वितरित कराती हैं।

केन्द्र–राज्य–सहकारिता

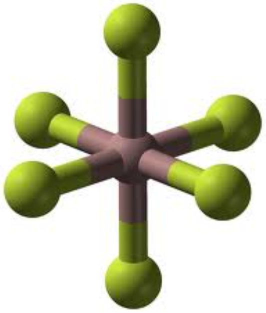

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत योजनाओं का सुनिश्चितीकरण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं संघ शासित प्रदेशीय प्रशासन की साझी जिम्मेदारी है। जहॉ केन्द्र सरकार का दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सामग्री का उठान, भण्डारण एवं परिवहन केन्द्र सरकार के गोदामों को करना है वहीं राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेशीय प्रशासन का दायित्व उन आवश्यक वस्तुओं का वास्तविक विवरण उपभोक्तओं को कराना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण रखना है। राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेशीय प्रशासन द्वारा उक्त आवश्यक वस्तुओं का उठान केन्द्र सरकार के गोदामों/मिलों से करते हुए उनका वितरण उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जाता है।

गोदामों में होने वाली क्षति को रोकने के लिये किये जाने वाले उपाय

- 1– गोदाम में चूहों से बचाव के लिये चूहेदानी आदि का प्रबन्ध होना चाहिये।
- 2– कीड़ों से बचाव के लिये गोदाम का पेस्टीसाइड्स से ट्रीटमेन्ट नियमित रूप से कराया जाना चाहिये।
- 3– गोदाम में नमी आदि से बचाव के लिये उचित हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये।
- 4– खाद्यान्न गोदाम शेड युक्त हो तथा गोदाम पर त्रिपाल, क्रेट्स की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

वितरण प्रणाली

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदेश में कार्यरत लगभग 73000 उचित दर दुकानों का एक नेटवर्क है जो सम्भवतः पूरे देश में अपने प्रकार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जो केन्द्र– राज्य सहकारिता के अन्तर्गत कार्य करता है। वर्तमान समय में जनपद बरेली में 445 नगरीय व 1191 ग्रामीण, कुल 1636 राशन की दुकानें कार्यरत हैं।
- उचित दर विक्रेताओं का नेटवर्क गत अनेक वर्ष से विस्तारित हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गॉव अथवा शहरी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों में से सम्बन्धित स्थान हेतु उचित दर विक्रेता का चयन किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति

- ग्रामीण क्षेत्रों में नयी उचित दर दुकान की नियुक्ति प्रत्येक ग्रामसभा में की जाती है और उचित दर विक्रेता का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ग्राम प्रधान, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, एवं सम्बन्धित ग्राम सभा के निवासियों की उपस्थिति में अनुमन्य आरक्षण के अन्तर्गत किया जाता है। उनके द्वारा दो या तीन स्थानीय निवासियों को उचित दर विक्रेता के रूप में नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाता है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार की समिति द्वारा उचित दर विक्रेता के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त व्यक्ति के नाम पर विचार किया जाता है। जिस ग्रामसभा में 4000 यूनिट से अधिक यूनिट प्रचलित हों वहॉ यदि ग्रामसभा चाहे तो दूसरी उचित दर की दुकान की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

नगरीय क्षेत्रों में उचित दर विक्रेता की नियुक्ति

- नगरीय क्षेत्रों में उचित दर दुकान की नियुक्ति 800 राशनकार्ड अथवा 4000 यूनिट के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी के माध्यम से की जाती है। नियुक्ति के समय अनुमन्य आरक्षण का ध्यान रखा जाता है।

उचित दर विक्रेता के रूप में नियुक्ति हेतु वांछित अर्हताऐं

- अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये। (आयु के सम्बन्ध में प्रमाण)
- अभ्यर्थी उस स्थान का स्थायी निवासी होना चाहिये जिस स्थान पर विक्रेता की नियुक्ति की जानी है। (स्थायी निवास प्रमाण पत्र)
- अभ्यर्थी शिक्षित हो ताकि दुकान का हिसाब किताब सही प्रकार से रख सके।(कम से कम कक्षा 8)
- अभ्यर्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कोई मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही उसके विरूद्ध कोई मुकदमा किसी न्यायालय में लम्बित हो। (शपथ पत्र)
- अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिये। (चरित्र प्रमाण पत्र)
- अभ्यर्थी के खाते में कम से 40000 रूपया उपलब्ध हो ताकि वह आवंटित खाद्यान्न का उठान करने में सक्षम हो। (बैंक पासबुक की छायाप्रति)
- यदि विक्रेता की ख्याति की अच्छी रही हो तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित को मृतकाश्रित के रूप में विक्रेता नियुक्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

वितरण पर निगरानी एवं निरीक्षण

- चूँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र एंव राज्य/संघ शासित प्रदेशीय सरकारों का साझा दायित्व है अतएव उक्त वितरण प्रणाली की समुचित/ सुव्यवस्थित निगरानी हेतु उनके मध्य सामंजस्य की आवश्यकता हुयी। केन्द्र एवं राज्य के मध्य सामंजस्य ने शासकीय नीतियों के निर्माण एवं निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उक्त के दृष्टिगत उचित दर दुकानों के मासिक निरीक्षण जिला प्रशासन द्वारा किये जाते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी/ दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है।

प्रवर्तन

- उचित दर विक्रेताओं की दुकानों के निलम्बन/ निरस्तीकरण, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी/ दुरूपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही प्रवर्तन की श्रेणी में आती है।
- उक्त उददेश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के अतिरिक्त दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुऐं भी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित की गयीं।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेश जारी किये गये हैं जिनका उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक अधिनियम 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

विभाग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियंत्रण आदेशों / शासनादेशों का विवरण

- उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 (यथा संशोधित)
- उत्तर प्रदेश मिटटी तेल नियंत्रण आदेश 1962 (यथा संशोधित)
- उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल आयल एवं लाइट डीजल आयल (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 1981 (यथा संशोधित)
- उत्तर प्रदेश दृवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 (यथा संशोधित)
- नगरीय क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश सॅख्या 2714/29–6–2002–सा0/01 दिनॉक 17.08.2002
- ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन से सम्बन्धित शासनादेश सॅख्या 2715/29–6–2002–सा0/01 दिनॉक 17.08.2002
- एवं शासन द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु समय समय पारित आदेश।

सतर्कता समितियाँ

- 1– दुकान स्तरीय सतर्कता समितियाँ– शहरी क्षेत्र में प्रत्येक उचित दर विक्रेता के यहाँ सम्बद्ध कार्डधारकों में से 05 कार्डधारक इस समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 01 महिला व 01 बी0पी0एल0 राशनकार्डधारक अवश्य होता है। इस समिति का कार्यकाल 01 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्य विक्रेता द्वारा उठान किये गये खाद्यान्न एवं उसके वितरण पर सतर्क निगरानी रखना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त कार्य चुनी हुयी ग्राम सभा की प्रशासनिक समिति द्वारा किया जाता है।
- 2– जिला स्तरीय सतर्कता समितियाँ– राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाले प्रत्येक जिला स्तरीय समिति में लाभभोगी समूहों, सामाजिक/ उपभोक्ता संगठनों, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न वर्गो से लभगग 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 02 वर्ष का होता है।इस समिति की अध्यक्षता मा0 सांसदों/ विधायकगण द्वारा वर्णमाला के क्रमानुसार की जाती है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति को अपने स्तर पर अधिकतम सम्भव सीमा तक समस्याओं को हल करने के लिये भी प्राधिकृत किया जाता है और जहाँ कहीं भी यह सम्भव न हो वे अपनी सिफारिशों के साथ उसे राज्य स्तरीय समिति को भेज सकती है।

सतर्कता समितियों के कार्य

- 1–सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा।
- 2–जनपद की रबी, खरीफ एवं जायद की फसलों के उत्पाद एवं उत्पादकता पर निगाह एवं मौसम के आधार पर फसलों की आज की स्थिति का समय से आंकलन
- 3– जनपद की जनसॅख्या को देखते हुए मुख्य आवश्यक वस्तुओं यथा गेहॅू, चावल, आटा, दालें, चीनी, गुड़,चना, सरसों का तेल, वनस्पति घी, रिफाइन्ड,आयल, नमक, डबलरोटी, आलू, प्याज, आदि की उपलब्धता की समीक्षा।
- 4– समस्त आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निरन्तर समीक्षा तथा मूल्य नियंत्रण एवं प्र्याप्त उपलब्धता बनाये रखने की सलाह।
- 5– आवश्यक वस्तुओं के निर्माताओं व संगठनों से विचार विमर्श।
- 6– घटतौली तथा अपमिश्रण की रोकथाम के लिये की जा रही कार्यवाही की समीक्षा।
- 7– उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- उक्त समिति की बैठक तीन माह में कम से कम 01 बार अवश्य कराये जाने का प्राविधान है।

ए0पी0एल0 योजनान्तर्गत राशनकार्ड

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीपन यापन करने वाले परिवारों को गेहूँ, चावल व मिटटी तेल उपलब्ध कराये जाने हेतु ए0पी0एल0 राशनकार्ड निर्गत किया जाता है जिसका रंग पीला होता है। वर्तमान समय में ए0पी0एल0 राशनकार्ड पर चावल का आवंटन प्राप्त नहीं हो रहा है। ए0पी0एल0 राशनकार्ड पर 10 किलो गेहूँ रूपया 6.60/– प्रति किलो की दर से एवं 3 से 5 लीटर तक मिटटी तेल रूपया 12.55 से 12.75 तक उपलब्ध कराया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

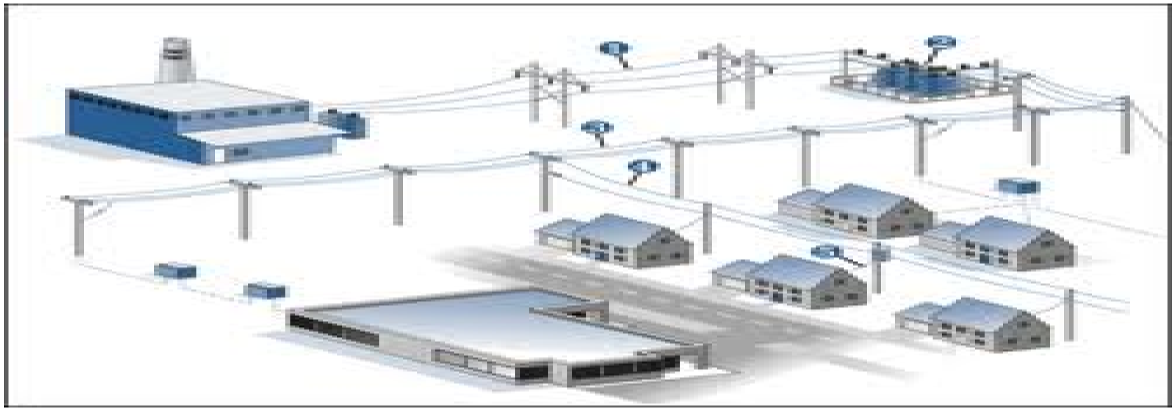

- सरकार द्वारा माह जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारम्भ किया गया जिसका उददेश्य उन गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था जो खुले बाजार से अनाज क्रय करने में सक्षम नहीं हैं।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत तीन प्रकार की योजनाऐं क्रमशः
  1– बी0पी0एल0 योजना,

  2– अन्त्योदय अन्न योजना एवं

  3– अन्नपूर्णा योजना लागू की गयीं।

बी0पी0एल0 योजना

- वह गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रूपया 19884 एवं नगरीय क्षेत्रों में रूपया 25546 है, उन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों की श्रेणी में रखा गया है। उक्त योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 राशनकार्डधारक परिवार को उनके सफेद राशनकार्ड पर 15 किलो गेहूॅं रूपया 4.65/– प्रति किलो, 20 किलो चावल रूपया 6.15/– प्रति किलो, 700 ग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी रूपया 13.50/– प्रति किलो एवं 3 से 5 लीटर तक मिटटी तेल रूपया 12.55 से 12.75 प्रति लीटर तक उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में जनपद बरेली में 160922 बी0पी0एल0 कार्ड प्रचलित हैं।

अन्त्योदय अन्न योजना

- बी0पी0एल0 परिवारों में से निर्धनतम परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत गुलाबी रंग का राशनकार्ड जारी किया जाता है और उक्त राशनकार्ड पर कार्डधारक को 15 किलो गेहूँ रूपया 2.00/– प्रति किलो, 20 किलो चावल रूपया 3.00/– प्रति किलो, 700 ग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी रूपया 13. 50/– प्रति किलो एवं 3 से 5 लीटर तक मिटटी तेल रूपया 12.55 से 12.75 प्रति लीटर तक उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान समय में जनपद बरेली में 99687 अन्त्योदय राशनकार्ड प्रचलित हैं।

अन्नपूर्णा योजना

- यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु के उन गरीब व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लागू की गयी थी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्र थे किन्तु उक्त योजना से लाभान्वित होने से रह गये थे। उक्त योजना के हरे रंग के कार्डधारकों को 10 किलो गेहूँ निःशुल्क प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता था किन्तु वर्तमान समय में उक्त योजना समाप्त हो चुकी है।

राशनकार्ड जारी कराने हेतु प्रक्रिया

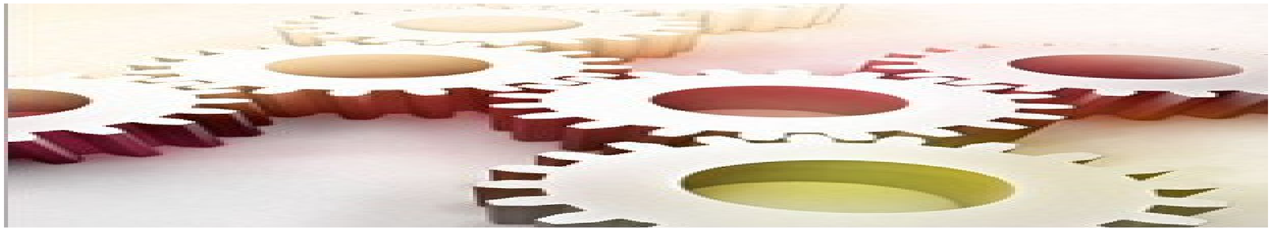

- ए0पी0एल0 राशनकार्ड जारी कराने हेतु आवेदक को नियत जॉच पत्र भरकर उसके साथ अपनी 2 नवीन फोटो, पूर्व निवास स्थान का समर्पण प्रमाण पत्र, नवीन निवास स्थान के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र यथा बिजली/टेलीफोन/पानी का बिल, किरायेदार की स्थिति में मकान किराये की रसीद आदि सॅलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय/ तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होता है जिस पर सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त 12 दिन की समयावधि के अन्दर आवेदक को राशनकार्ड जारी कर दिया जाता है।
- बी0पी0एल0 राशनकार्ड निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ए0पी0एल0 कार्डधारक परिवारों मे से गरीब परिवारों को सर्वे के आधार पर जारी किये जाते हैं।
- अन्त्योदय राशनकार्ड निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवारों में से निर्धनतम परिवारों को सर्वे के आधार पर जारी किये जाते हैं।

नागरिक अधिकार पत्र

Citizen's Charter

- उत्तर प्रदेश सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक मानती है, जिसमें उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें खाद्यान्नों के मासिक कोटे की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाती है। सरकार पूर्ण पारदर्शिता और प्रचालनों की सक्षमता तथा इसे क्रियान्वित करने वाले प्राधिकारियों की जवाबदेही के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिये लक्षित वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- राशनकार्ड में कोई नाम सम्मिलित करने/ निरस्त करने अथवा नया कार्ड बनवाने के लिये सेवा/कार्यवाही स्तर का विवरण इस प्रकार है–

dekd	dk;okgh	okfNr le;	lsok Lrj ¼vuqjks/k dh fnukad ls½	l{ke izkf/kdkjh
1	नये आवेदन का प्रस्तुतीकरण	01 दिन	प्रथम दिन	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी
2	पू0नि0 / ग्रा0पं0वि0अ0 को जॉच हेतु आदेश जारी किया जाना	01 दिन	दूसरा दिन	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी
3	पू0नि0 / ग्रा0पं0वि0अ0 द्वारा सत्यापन रिपोर्ट को अपडेट करना	07 दिन	नौवां दिन	पूर्ति निरीक्षक / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
4	क्षे0खा0अ0 / ख0वि0अ0 द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन आख्या पर निर्णय लिया जाना	01 दिन	दसवॉ दिन	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी
5	नया राशनकार्ड जारी किया जाना	02 दिन	बारहवॉ दिन	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी

dekd	dk;okgh	okfNr le;	lsok Lrj ¼vuqjks/k dk fnukad ls½	l{ke ikf/kdkjh
6	राशनकार्ड समर्पित किया जाना / समर्पण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	01 दिन	उसी दिन	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी
7	राशनकार्ड में से परिवार के किसी सदस्य का नाम निरस्त किया जाना	01 दिन	उसी दिन	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी
8	राशनकार्ड में नाम सम्मिलित किया जाना			
क	यदि प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व निवास स्थान का समर्पण प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / विवाह का साक्ष्य सॅलग्न किया गया हो तो	01 दिन	उसी दिन– प्रार्थना पत्र के साथ मूल राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर।	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी
ख	अन्य मामलों में	07 दिन	एक सप्ताह के अन्दर	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी

dekd	dk;Zokgh	okfNr le;	lsok Lrj ¼vuqjks/k dk fnukad ls½	l{ke izkf/kdkjh
9	राशनकार्ड में उसी क्षेत्रान्तर्गत स्थान परिवर्तन	01 दिन	उसी दिन– नियत प्रारूप पर प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य एवं मूल राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी
10	उसी क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकान के सम्बद्धीकरण में परिवर्तन	01 दिन	उसी दिन– नियत प्रारूप पर प्रार्थना पत्र के साथ मूल राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर।	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी

राशनकार्डो का डाटा डिजिटाईजेशन

- शासनादेशानुसार प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रचलित ए0पी0एल0 /बी0पी0एल0 /अन्त्योदय राशनकार्डो का डाटा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद बरेली में प्रचलित 160922 बी0पी0एल0, 99687 अन्त्योदय (कुल 260609) राशनकार्डो का डाटा विभागीय वेबसाईट **www.fcs.up.nic.in** पर अपलोड कराया जा चुका है तथा वर्तमान समय में जनपद में प्रचलित ए0पी0एल0 राशनकार्डो में से 578729 ए0पी0एल0 राशनकार्डो का डाटा कम्प्यूटरीकृत कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया गया है। साथ ही उचित दर विक्रेताओं का निर्धारित रोस्टर, मिटटी तेल थोक विक्रेता/ उचित दर विक्रेताओं का आवंटन आदि अन्य सूचनाऐं भी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

त्रि स्तरीय चैकिंग व्यवस्था

- शासन एवं प्रशासन आवश्यक वस्तुआ यथा खाद्यान्न, चाना, ।मेटटी तेल आदि राशनकार्डधारकों को सुगमता एवं उनके दुरूपयोग को रोकने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत त्रि स्तरीय चैकिंग व्यवस्था लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है–
- प्रथम स्तर– प्रथम स्तर पर खाद्यान्न,लेवी चीनी, मिटटी तेल की गोदाम पर आमद होने पर आमद का भौतिक सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाता है।

- द्वितीय स्तर– खाद्यान्न,लेवी चीनी, मिटटी तेल की गोदाम पर आमद होने पर आमद का भौतिक सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा किये जाने पर द्वितीय स्तर पर गोदाम पर लगाये गये आपूर्ति/ राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में खाद्यान्न/लेवी चीनी/ मिटटी तेल का निर्गमन सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को उनके स्टाक रजिस्टर/ कोटा कार्ड पर मात्रा अंकित करते हुए किया जाता है।
- तृतीय स्तर– खाद्यान्न/लेवी चीनी/मिटटी तेल के उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुॅचने पर समग्र स्टाक का सत्यापन क्षेत्रीय लेखपाल/ ग्राम विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा तृतीय स्तर पर किया जाता है और तृतीय स्तर के सत्यापन के उपरान्त उचित दर विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्डधारकों में किया जाता है।

पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में शिविर वितरण

- माह सितम्बर 2007 से शासन द्वारा नवीन वितरण व्यवस्था लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न/लेवी चीनी एवं मिटटी तेल का वितरण माह की 5 तारीख से 15 तारीख तक विशेष कैम्प लगाकर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति मे बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को कराया जाता है। वितरण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार/ मुनादी करायी जाती है, जिससे शिविर के दिन उचित दर विक्रेता की दुकान से सम्बद्ध अधिक से अधिक बी0पी0एल0/ अन्त्योदय कार्डधारक खाद्यान्न/लेवी चीनी एवं मिटटी तेल प्राप्त कर सकें।

मिटटी तेल की नवीन वितरण व्यवस्था

- शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उददेश्य से मिटटी तेल के वितरण के सम्बन्ध में नवीन व्यवस्था लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत सभी मिटटी तेल थोक विक्रेताओं के यहॉ डिस्पेंसिंग यूनिट की स्थापना करायी गयी है। शासन के निर्देशानुसार समस्त मिटटी तेल थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर इण्टरनेट सुविधायुक्त कम्प्यूटर स्थापित कराये गये हैं तथा मिटटी तेल थोक विक्रेताओं के यहॉ सम्बद्ध उचित दर विक्रेताओं का रोस्टर निर्धारित किया गया है। मिटटी तेल थोक विक्रेताओं को माह की 01 तारीख से 20 तारीख तक प्राप्त होने वाला मिटटी तेल जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को उनके निर्धारित रोस्टर के अनुसार माह की 01 तारीख से 20 तारीख तक निर्गत किया जाता है तथा उसका वितरण माह की 05 तारीख से 22 तारीख के मध्य किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु की गयी व्यवस्था

- जनपद बरेली में र्सावजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्न लिखित सूचनाऐं जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों के अग्रभाग पर पेन्ट द्वारा प्रदशिर्त करायी गयी है–
    - सस्ते गल्ला विक्रेता की दुकान
- उचित दर विक्रेता का नाम................................... ग्राम.................................
- शामिल क्षेत्र..

क्रमशः –––

dkM dk i:dkj	d|y dkMk dh l[;k	d|y vkoVu	i:fr dkM n;; ek=k	nj	LVkd ¼pkkd l½
अन्त्योदय (लाल कार्ड)		गेहॅ ....कुन्तल	15 किलोग्राम	रूपया 2/–प्रति किलो	
		चावल..........कुन्तल	20 किलोग्राम	रूपया 3/– प्रति किलो	
		चीनी..........कुन्तल	700 ग्राम प्रति यूनिट	रूपया 13.50/– प्रति किलो	
बी0पी0एल0(सफेद कार्ड)		गेहॅ ....कुन्तल	15 किलोग्राम	रूपया 4.65/– प्रति किलो	
		चावल.........कुन्तल	20 किलोग्राम	रूपया 6.15/– प्रति किलो	
		चीनी......... कुन्तल	700 ग्राम प्रति यूनिट	रूपया 13.50/– प्रति किलो	
ए0पी0एल0(पीला कार्ड)		गेहॅ ....कुन्तल	10 किलोग्राम	रूपया 6.60/– प्रति किलो	
		चावल.........कुन्तल	20 किलोग्राम	रूपया 12.35/– प्रति किलो	
सभी कार्डो पर देय	कुल कार्ड	मिटटी तेल......... लीटर अर्थात ..ड्रम	3 से 5 लीटर	12.55/– से 12.75/– तक प्रति लीटर	

1& leLr dkVk ,d gh ckj e mBk;k tk;xkA
2– राशन कोटा 22 से 30 तारीख तक उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुँचेगा।
3–मिटटी तेल माह की ....तारीख को उठान होगा। कृपया देख लें कि .... तक पूरा मिटटी तेल गावॅ में आ गया है।
4– जिला पूर्ति कार्यालय बरेली का हेल्प लाईन नम्बर– 0581– 2510892 (प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक)
5–सम्बन्धित उपजिलाधिकारी का मोबाईल नम्बर–
6– विभाग का टोल फ्री नम्बर – 1800–180–5046

एस0एम0एस0 व्यवस्था

शासन के निर्देशानुसार जनपद में प्रचलित कार्डधारकों के मोबाईल नम्बरों का मास्टर डाटाबेस तैयार कर एन0आई0सी0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया गया है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा उठान किये गये खाद्यान्न/ चीनी/मिटटी तेल के सम्बन्ध में निःशुल्क जानकारी एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिये कोई भी व्यक्ति कार्यालय में अपना नाम/मोबाईल नम्बर पंजीकृत करा सकता है।

काल सेन्टर की स्थापना

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये खाद्यायुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ में काल सेन्टर की स्थापना की गयी है जिसका नम्बर 1800 180 5046 है, जिस पर कोई भी उपभोक्ता निःशुल्क काल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही खाद्यायुक्त कार्यालय लखनऊ के काल सेन्टर नम्बर 0522–2614581 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। काल सेन्टर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण 48 घंटे के अन्दर कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त कोई भी उपभोक्ता जिला पूर्ति कार्यालय बरेली के दूरभाष 0581– 2510892 पर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के मध्य अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है अथवा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

RIGHT TO INFORMATION

शासन की नीतियों एवं कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के उददेश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति 10/– शुल्क पोस्टल आर्डर अथवा राजकोष में निर्धारित हेड में जमा करके मूल चालान/पोस्टल आर्डर प्रार्थना पत्र के साथ सॅलग्न करते हुए सम्बन्धित सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सकता है अथवा कार्यालय अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है अथवा कार्यालय अभिलेखों की प्रति भी नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। छायाप्रति प्राप्त करने हेतु उसे प्रति पृष्ठ रूपया 2/– की दर से जमा करना होगा। बी0पी0एल0 श्रेणी के उपभोक्ताओं को वांछित सूचना की छायाप्रतियॅा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है किन्तु सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रूपया 10/– का पोस्टल आर्डर/ट्रेजरी चालान उन्हें भी सॅलग्न करना होगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

- बाजार में उपभोक्ता– हम बाजार में निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों प्रकार से भागीदार होते है।
- जहॉ एक ओर हम निर्माता के रूप में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण/ सेवाऐं प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता के रूप में उसी बाजार से अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं की खरीद/ सेवाऐं प्राप्त करते हैं।
- किन्तु बाजार में कभी कभी यह देखने में आता है कि उपभोक्ता का विभिन्न प्रकार से अनुचित दोहन निर्माता द्वारा किया जाता है
- जैसे कभी उपभोक्ता को निर्धारित वजन से कम तौल कर वस्तु प्राप्त होना।
- उपभोक्ता से उन मूल्यों की वसूली किया जाना जिनका कोई उल्लेख वस्तु पर नहीं किया गया हो।
- उपभोक्ता को अपमिश्रित/ खराब वस्तु उपलब्ध करायी जाये।
- उपभोक्ता को प्रलोभन देने हेतु गलत सूचनाओं का प्रसारण किया जाना।
- बाजार सही ढंग से कार्य नहीं करता है जब निर्माता सॅख्या में कम किन्तु शक्तिशाली हो और उपभोक्ता सॅख्या में अधिक और फुटकर क्रेता हों।

उपभोक्ता आंदोलन

- ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब बड़ी बड़ी कम्पनियॉ अपनी समृद्धी, शक्तियों एवं पहुॅच के आधार पर बाजार को अपने हिसाब से चलाने लगती है।
- इस प्रकार उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु नियम– कानून बनाने की आवश्यकता हुयी जिसका परिणाम भारत में उपभोक्ता आंदोलन के रूप में परिलक्षित हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरूआत वर्ष 1960 में खाद्यान्न के कृत्रिम अभाव, अवैध भण्डारण, कालाबाजारी, खाद्यान्न एवं खाद्य तेलों में मिलावट के विरूद्ध की गयी थी और वर्ष 1970 में इस आन्दोलन ने लेख एवं प्रर्दशनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में भागीदारी करना आरम्भ किया।
- वर्ष 1985 में सॅयुक्त राज्य संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु यू0एन0गाईडलाइन्स को आत्मसात किया और यह विश्वभर में उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारों पर दबाव डालने हेतु एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आया है।आज उपभोक्ता संरक्षण विश्व के 100 देशों में 240 संगठनों को प्रश्रय प्रदान कर रहा है।

उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा सम्बन्धी सूचना

- उपभोक्ता के रूप में हमे उत्पाद एवं सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है–
- 1– सूचित किये जाने का अधिकार– जब हम कोई उत्पाद क्रय करते हैं तो हम पैकेट पर कुछ सूचनाऐं जैसे– मूल्य, बैच नम्बर, निर्माण की तिथि, एक्सपायर होने की तिथि, निर्माता का पता आदि अंकित पाते है। निर्माता यह सब सूचनाऐं क्यों प्रदर्शित करते है ?
- ऐसा इसलिये है क्योंकि उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी रखने का अधिकार है जो वह क्रय कर रहा है।
- इन सूचनाओं के आधार पर उपभोक्ता क्रय किये गये उत्पाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत/ उत्पाद के प्रतिस्थापन की मॉग कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य से अधिक मूल्य लिये जाने पर इसका विरोध/ शिकायत कर सकता है।
- 2– चुनाव का अधिकार– कोई भी उपभोक्ता जो वस्तुऐं/ सेवाऐं प्राप्त करता है उसे यह अधिकार है कि वह उस वस्तु/ सेवा को प्राप्त करे अथवा न करे।

उपभोक्ता कहाँ न्याय प्राप्त कर सकता है ?

- कोई भी उपभोक्ता किसी उत्पाद/ सेवा के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है, उत्पाद की क्षति के अनुसार प्रतितोष की माँग कर सकता है।
- जिला स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय में 20 लाख तक की क्षतिपूर्ति के मामले योजित किये जा सकते हैं।
- राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय में 20 से अधिक किन्तु 01 करोड़ से कम तक की क्षतिपूर्ति के मामले योजित किये जा सकते हैं।
- राष्ट्र स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय में 01 करोड़ से अधिक क्षतिपूर्ति के मामले योजित किये जा सकते हैं।
- सम्बन्धित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है किन्तु शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित फर्म का नाम/पता एवं क्रय की गयी वस्तु का बिल सॅलग्न किया जाना अनिवार्य होता है।